रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02112021-230913
CG-DL-E-02112021-230913

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 628] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 2, 2021/कार्तिक 11, 1943
No. 628] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 2, 2021/KARTIKA 11, 1943

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. 776(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनिमयन) अधिनियम, 1957(1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में एतद्वारा और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज (नीलामी) तीसरा संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खनिज (नीलामी) नियम, 2015 (इसे इसके पश्चात 'उक्त नियम' कहा गया है) में, नियम 6 में,—

(i) उप-नियम (3) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"स्पष्टीकरण — यह उप-नियम, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रारंभ से पूर्व, किसी न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा पारित, किसी आदेश या निदेश के विपरीत किसी बात के होते हुए भी नीलामी के सभी मामलों में लागू होगा।"

(ii) उप-नियम (4) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"स्पष्टीकरण — यह उप-नियम, उन सभी पट्टों पर लागू होगा जहां खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रारंभ होने से पूर्व किसी न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश या निदेश के विपरीत, किसी बात के होते हुए भी कैप्टिव खपत के लिए उपयोग किए जाने के लिए खनिज की आवश्यकता है।"

3. खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में, नियम 14 में,—

(i) "चौबीस" शब्दों के स्थान पर "बारह" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "से साठ दिन" शब्दों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 16/97/2020-एम.VI (भाग)]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : खनिज (नीलामी) नियम, 2015, को संख्यांक सा.का.नि. 406 (अ) तारीख 20 मई, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और उसे अंतिम बार संख्यांक सा.का.नि. 422(अ) तारीख 18 जून, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2021

G.S.R. 776(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral (Auction) Rules, 2015, namely:—

1. (1) These rules may be called the Mineral (Auction) Third Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral (Auction) Rules, 2015 (hereinafter referred to the 'said rules'), in rule 6, —

(i) in sub-rule (3), the following explanation shall be inserted, namely: —

"*Explanation*.— This sub-rule shall be applicable in all cases of auction, notwithstanding any order or direction to the contrary, passed by any court or authority, prior to the commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2021."

(ii) in sub-rule (4), the following explanation shall be inserted, namely: —

"Explanation.— This sub-rule shall be applicable in all leases where mineral is required to be used for captive consumption, notwithstanding any order or direction to the contrary, passed by any court or authority, prior to the commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2021."

3. In the Mineral (Auction) Rules, 2015, in rule 14, —

(i) for the words "twenty-four" the words "twelve" shall be substituted;

(ii) the words, "sixty days from" shall be omitted.

[F. No. 16/97/2020-M.VI (Part)]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.

Note : The Mineral (Auction) Rules, 2015 were published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 406(E), dated the 20th May, 2015 and lastly amended *vide* number G.S.R. 422 (E), dated the 18th June, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.